FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम........................

टिकूराम वगैरा बनाम रामूराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद 88,188 Rt Act नं. 141 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/8/2019	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री खेताराम भाकर एड. ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 88,188 Rt Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/8/19 को पेश हो।	
28/08/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालातनामा मय ईकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 14/10/19 को पेश हो।	
14/10/19	वादी वकील व प्रतिवादी संख्या-1 के वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-1 PW-1- टिकूराम पुत्र रामूराम जाति-जाट निवासी- मेघवालों का वास छीतर का पार तहसील-बायतु व स्वतंत्र गवाह PW-2- पेमाराम पुत्र शिवजीराम जाति- निवासी- बाण्डासर पटवार हल्का- छीतर का पार तहसील- बायतु तथा PW-3- केसाराम पुत्र सांगाराम जाति-जाट निवासी- छीतर का पार तह०-बायतु एवम् प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1- [illegible] पुत्र गिरधारीराम जाति-जाट निवासी- मेघवालों का वास पटवार हल्का- छीतर का पार तहसील बायतु	खेताराम टीकू [illegible] पेमाराम

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vy
Date: 2020.12.04 17:06:58
Reason: SelfAttested

जिला- बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये जाने ... शामिल पत्रावली किया गया। अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/12/19 को पेश हो। [signature]

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

18/12/19 वकील फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी ... डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल ... आगामी दिनांक 19/12/19 को पेश हो। [signature]

19/12/19 वकील फरीकैन उपस्थित। वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी की संयुक्त रूप से पुश्तैनी जमीन ग्राम मेघवालों का वास परवार मण्डल- छीतर का पार तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्रमश: 463, 514, 515, 522 रकबा क्रमश: - 69.02, 0.04, 94.07, 05.04 बीघा की आई हुई है। उक्त जमीन वादीगण व प्रतिवादी की पुश्तैनी होने से वादीगण व प्रतिवादी का बराबर का हक हिस्सा है। वक्त सेटलमेन्ट वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर- 463, 514, 515, 522 रकबा क्रमश: 69.02, 0.04, 94.07, 05.04 बीघा मौजा- मेघवालों का वास परवार हल्का- छीतर का पार वादीगण के दादा गिरधारीराम के नाम दर्ज हुई थी। तथा गिरधारीराम की फौतगी के पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है। वादीगण के पिता प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीगण को प्रतिवादी ने परिवार से अलग कर दिया है व उनके हिस्से में आने वाली जमीन बांटकर मौके पर हिस्सेनुसार बंटवारा कर अलग करके दे दी है जिसमें वादीगण की ... टांका भी बने हुए हैं। परन्तु वादीगण का राजस्व

[signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Ver...
Digitally signed by Vive...
Date: 2020.12.04 17:...
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं है इस कारण अमल किया करवाने सहकारी समितियों व बैंकों से ऋण लोन लेने में असुविधा रहती है। इस कारण वादीगण प्रतिवादी के साथ अपना व हिस्सा बराबर-बराबर हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है जिस हेतु यह वाद घोषणा का पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 से PW-3 के शपथ-पत्र व प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी स्वयं DW-1 का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता द्वारा वाद के समर्थन में सहमती जाहिर की गई, हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्रों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त विवादित आराजी पैतृक साबित होती है तथा प्रतिवादी संख्या-1 के साथ वादीगण का बराबर-बराबर का हिस्सा बनना साबित होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजी मौजा- मेघवालों का वास पटवार मण्डल- छीतर का पार तहसील- बायतु के खेत खसरा नम्बर- 463, 514, 515, 522 रकबा- क्रमशः 69-02, 0.04, 94.07, 5.04 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या-1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो [illegible] से कार्य हो दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:06:58 IST
Reason: SelfAttested

Jud/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

इजलास श्री विवेक व्यास R.A.S. टिकूराम बनाम रामूराम

दावा बाबत रा० का० 88,188 RTACT

मुकदमा नं. 141/19 सन् 2019

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री खेताराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुदई व —

श्री जगदीश गोदारा एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा- मेघवालों का वास पटवार मण्डल - छीतर का पार तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- क्रमशः- 463 514 515, 522 रकबा क्रमशः- 69-02, 0.04, 94-07, 5.04 बीघा भूमि में वादीगणों को प्रतिवादी संख्या-1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा वाद पक्षकारान अपना- अपना वहन करें।

कौम .... मुबलिंग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक .... को अदा करें।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 12 2020 को जारी की गई।

दस्तखत विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO)

ओहदा बायतु

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराल हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराज हुकमनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज होना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:46:58 IST
Reason: SelfAttested

सेवा में,

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. रिड़कराम पुत्र रामूराम
2. मैवाराम पुत्र रामूराम
3. पदमाराम पुत्र रामूराम
4. अलसाराम पुत्र रामूराम
5. भंवरलाल पुत्र रामूराम
जाति-जाट निवासी-मेघवालों का वास पत्वार हल्का-छीतर का पार तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर

1. रामूराम पुत्र श्री गिरधारी जाति-जाट निवासी-मेघवालों का वास पत्वार हल्का-छीतर का पार तहसील=बायतु जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:06:58 IST
Reason: SelfAttested